

Joint Committee Inspection Report

Submitted in Reference to

**Hon'ble National Green Tribunal (NGT),
Central Bench, Bhopal
Order dated 13-12-2023**

In the Matter of

Original Application No. 180/2023 (CZ)

Vinod kumar Agrawal & Anr.

Vs

State of Madhya Pradesh. & Others.

Member of the Committee:

- 1. Shri Rishi Pawar, Additional District magistrate ,
Satna (M.P.).**
- 2. Dr. Pushpendra Singh, Regional Officer, Madhya
Pradesh Pollution Control Board, Regional Office
Satna, (M.P.).**
- 3. Shri Yashpal Mehra, Sub Divisional Officer, Forest
department Satna, (M.P.).**

Joint Inspection Report

O.A. 180/2023

INDEX

S. No.	Particulars		Page No.
1.	Joint Committee Inspection Report.		1-13
2.	Nomination of officials from concerning departments.	Annexure - 1	14-17
3.	Letter to Advocate of respondent (C.R. Jaya Sukin) regarding joint visit vide letter No.1147 dated 02.01.2024.	Annexure - 2	18
4.	Attendance sheet of the participants on the day of joint inspection.	Annexure - 3	19
5.	Forest department Joint Inspection report by letter no 64 dated 07.01.2024	Annexure - 4	20-21
6.	Panchnama by sub divisional officer dated 04.01.2024	Annexure - 5	22-23
7.	Mauka Panchnama 03 Nos	Annexure - 6	24-27
8.	Measurement list of fallen tress -07 Nos. -	Annexure - 7	28-33
9.	Statement -03 Nos	Annexure - 8	34-36
10.	Photographs by Forest department of fallen trees	Annexure - 9	37-41
11.	Report of District Administration office Tahsil Maihar vide letter no. 13 dated 10.01.2024.	Annexure - 10	42-43
12.	Order of Court Collector District Satna Madhya Pradesh Under case no. 2/A-19/89-90 dated 23.05.1990.	Annexure - 11	44-45
13.	Order of Court Collector District Satna Madhya Pradesh Under case no. 6/A-19/94-95 etc. on dated 22.06.1995.	Annexure - 12	46-63
14.	Patwari Halka no.47 Barhi Report on dated 09.01.2024.	Annexure - 13	64-65
15.	“Najari Naksha” dated 08.01.2024.	Annexure - 14	66
16.	“Sthal Panchnama” on dated 04.01.2024.	Annexure - 15	67
17.	Statement by Dr. Arun Kumar Gautam,dated 06.01.2024.	Annexure - 16	68
18.	Statement by Mr. Lalan Shahu on dated 06.01.2024.	Annexure - 17	69
19.	Statement by Mr. Rajaram Tiwari on dated 06.01.2024.	Annexure - 18	70
20.	“Sthal Panchnama” on dated 06.01.2024 during joint visit.	Annexure - 19	71

**Report of the Joint Committee constituted by Hon'ble NGT
(CZ) in the matter of Original Application No. 180/2023 vide
order dated 13-12-2023; Vinod Kumar Agarwal & Anr. Vs
State of Madhya Pradesh & Ors**

Hon'ble NGT (CZ), Bhopal in OA No. 180/2023 vide its order dated 13/12/2023 in the matter of "Vinod Kumar Agarwal & Anr. Vs State of Madhya Pradesh & Ors" directed under para 1, 2,3,4,6 & 7 as :-

- 1. " The issue raise in this application is illegal encroachment on the water body/pond in Bela Khas Patwari Halka Varhi Mehar District Satna (M.P.) in violation of environmental rules and cutting and damaging of the trees against the setteled principles laid down by Hon'ble Supreme Court of India in case of M.C. Mehta vs. Kamalnath (1997)1 SCC 388 .*
- 2. It is alleged that entries no 304, 305, 308 and 309 are recorded at government/public land in the nature of pond and was developed by Swami Neelkanth Ji Maharaj as huge pond with plantation of 1000 big and small green trees of various varieties which was used for drinking water to the villagers and the animals and the same has been subject of encroachment causing presentation of the present application.*
- 3. A substantial issue of environment has been raised. Issue notice to the respondents. Returnable within four weeks.*
- 4. Applicant is directed to take necessary steps for service to the respondents by both ways and also on available email.*

6. We further constitute a Committee consisting of:

- i. One representative from Collector District Satna (M.P).**
- ii. One representative from DFO Satna (M.P.)**
- iii. One representative from State Pollution Control Board (M.P.).**

7. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within four weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.”

Accordingly, following officers from the concerning departments were nominated for the Joint Committee. (Copy of nomination letters are enclosed as **Annexure--1**)

S. No	Name of Department	Name of Committee Member
1	One representative from Collector District Satna (M.P).	Shri Rishi Pawar, Additional District magistrate, Satna (M.P.).
2	One representative from DFO Satna (M.P.)	Shri Yashpal Mehra Sub Divisional Officer, Forest Department Satna (M.P.)
3	One representative from State Pollution Control Board (M.P.).	Dr. Pushendra Singh Regional Officer Madhya Pradesh Pollution Control Board Regional Office, Satna (M.P.)

MPPCB Being the Nodal Agency in this matter, coordinated with all the concerned departments and fixing the date of site visit and it was decided to schedule the site visit on Dated 06.01.2024.

Prior to the site visit, an on-site meeting of all Committee Members was convened at Bela Khas Patwari Halka Varhi Mehar, District Satna, (Current District - Maihar) (M.P).

Complaint was not present during the join inspection despite of information has given to the complaint advocate (C.R. Jaya Sukin) vide letter No.1147 dated 02.01.2024. **Annexure--2.**

Attendance sheet is attached as **Annexure--3.**

This report is being filed by the aforementioned Joint Committee after conducting the field visit on 06.01.2024.

A. Background and Specific Issues in this matter:-

- The issue raise in this application is illegal encroachment on the water body/pond in Bela Khas Patwari Halka Varhi Mehar District Satna (M.P.) in violation of environmental rules and cutting and damaging of the trees against the setteled principles laid down by Hon'ble Supreme Court of India in case of M.C. Mehta vs. Kamalnath (1997)1 SCC 388 .

- It is alleged that entries no 304, 305, 308 and 309 are recorded at government/public land in the nature of pond and was developed by Swami Neelkanth Ji Maharaj as huge pond with plantation of 1000 big and small green trees of various varieties which was used for drinking water to the villagers and the animals and the same has been subject of encroachment causing presentation of the present application.

B. Factual status Reprot of the major issues raised in The petition:-

S.N	Detail of Issues	Factual status
1)	<p>The present Application is filed presently against the illegal possession of the public utility Pond (Talab) which will result in felling down thousand number of trees, gallons of water and loss of oxygen for many a creatures i.e., birds, animals and humans by the Respondent no.5 i.e. bam Mahadev Das for the wrongfully construction over the pond in Bela Khas, Patwari Halka varhi, taluk mehar, District Satna, Madhya Pradesh in violation of several Environmental laws and rules.</p>	<p>➤ Forest department stated vide letter no. 64 dated 07.01.2024 (Annexure--- 4) that the said place itself is Khasra No. 304, 305. In which the Swami Narayan Das college building and boundary wall construction work has been done by the Swami Neelkanth institute. And adjoining of Swami Narayan Das college building Swami Vivekananda Government college campus has been situated in Khasra No. 308 and part of 308, in which educational work is being conducted. In the presence of Committee, a walk around of the premises of Swami Narayan Das college was conducted in which Eucalyptus trees were found uprooted and cut. The uprooted and cut trees were measured on the spot and mauka panchnama was prepared on dated 04.01.2024, again the measurement of trees standing in institute was done in front of Sevadar Shri Rajendra Tiwari and other employees in which only 3 pieces of Palash, Neem and Bel tress were found in the premises. During joint Visit dated 06.01.2024 the statement of Sevadar Rajaram Tiwari was noted that "I have been serving the ashram for last 16 years, to my knowledge there was 10-12 trees present in the premises, which gradually fell during the storm, just 3-4 month ago Eucalyptus trees adjacent to the boundary line had fallen on the power line. Information about these was given to the Electricity department by the institute. On the request of the Electricity department the institute got the fallen</p>

tress cut and kept aside. A similar statement was also given by Lalan Sahu. In compliances with the letter dated 07.01.2024 after contacting Patwari halka a count of trees growing in the Swami Vivekanand government collage campus part of arazi no. 308, 308 was done where along with the collage employees the trees standing in the collage was contend. A survey was conducted and photographs were taken in which 200 trees were found in college campus. Apart from this information was also taken by villagers of Ghurpura located next to the Oila temple and there statement was taken in which Babulal kol president of Ghurpura Age 62 stated that "I'm originally a resident of this village according to my knowledge adjacent to the Oila temple where the college campus was build was completely vacant, in which there was a small pond (Pokhari) in which only the rainwater was retained. It is true that only 15 to 20 trees were planted in the said area". During inspection a total of 205 trees were found standing in the arazi no. 304,305,308 and 309, out of which 07 eucalyptus trees fallen due to storm and cut were found kept in swami narayan das campus, the count sheet of pitch was prepared. During verification and inspection of the site no facts were found that 1000 trees had been planted.

➤ Panchnama is prepared by sub divisional officer dated 04.01.2024 in which following are attached

(Annexure -5)

1. Panchnama -03 Nos. – Annexure - 6
2. Measurement list of fallen tress -07 Nos. - Annexure -7
3. Statement -03 Nos. - Annexure -8

➤ List of fallen trees with details are given in table below :-

s. n o .	Species	Diameter (in meters)	Length/height (in meters)	Timber wood (M ³)	Fire wood (M ³)
1	eucalyptus	2.20	2.40	0.8800	0.2200
2	eucalyptus	2.40	2.40	0.8800	0.2200
3	eucalyptus	1.40	1.10	0.4800	0.1200
4	eucalyptus	0.70	0.90	0.2400	0.0600
5	eucalyptus	1.25	0.80	0.1300	0.325
6	eucalyptus	1.60	3.60	0.6700	0.1675
7	eucalyptus	1.35	-	0.4800	0.1675
Total -				3.760	1.28

Particulars	Rate	Amount
Timber Wood	Rs. 8719/-	Rs. 32783.44/-
Fire wood	1.5 % extra	Rs. 4493/-
Total		Rs. 37276/-

➤ The details of 202 Nos. planted trees are given in (**Annexure - 7**)

2) That the respondent No. 5 who is unsocial element, destroying the human life located at Bela Khas Satna Mehar. The said respondent no. 5 by misusing the District Administration by money and high tools has encroached on the public, government pond located near the Neelkanth Ashram and diverting it from public for the purpose of using it for his personal use. The said huge pond was developed by the Swami Neelkanth Ji Maharaj and their devotees' by collecting money and using the sources of the village for the welfare of the villagers. The Swami Neelkanth ji Maharaj and their devotees put their hard work to develop a

➤ District Administration office Tahsil Maihar stated vide letter no. 13 dated 10.01.2024 (**Annexure -10**) As per the Letter of karyalay Tasheeldar of Tahsil Maihar, patwari Halka village Baila khas Tehsil Maihar The detail of the pond are, entry no. 304 area is 0.794 hectare. And entry no. 305 area is 0.533 hectare there is a record of land ownership registered in the name of Bum mahadev ji Maharaj Neelkanth Ashram Oila Manager District head Satna and entry no. 308 area is 0.366 hectare and entry no. 309 area is 0.4080 hectare land pond has recorded and spot inspection was conducted. In Investigation it is found that :

1. According 1944-45

- entry no. 304 – Paar Talab
- entry no. 305 - Talab
- entry no. 308 - Talab
- entry no. 309 - Paar Talab

huge pond in that area, in which around 1000 big/small green trees of various varieties area planted along the boundary wall of this pond which are fully grown. Along with this, various folks of cattle and domesticated and natural animals were dependent on the pond for drinking water. Moreover it is huge pond which is used by the villagers for their day to day activity and other necessity.

The detail of the pond are, entry no. 304 is the wall of pond of area 0.794 hectare. And entry no. 305 area is 0.533 hectare which is filled with pond water and entry no. 308 area is 0.366 hectare and entry no. 309 area is 0.4080 hectare which is land of pond for public use, which is located at baila khas patwari halka barhi Revenue Inspector division Maihar Tehsil Maihar District Satna Madhya Pradesh.

The Respondent No. 5 with the help of Respondent No. 2 & 3 took the permission of illegal construction over such govt. Land/pond and constructed a wall from all sides of ponds and installed a gate at the main entrance of the pond, to restricted public entry. Thus the general pathway of villagers had been blocked by such constructions. Not only the general path of the villagers had been blocked but also a

2. it was separated from the "Nistar Patrak" and allotted to Government Vivekanand Collage maihar. Under case no. 2/A-19/89-90 dated 23.05.90, endorsement no. 46/four.R/89 by A.No.304,30.308,309. Court Collector District Satna Madhya Pradesh. (**Annexure -11**)

3. Court Collector District Satna Madhya Pradesh case no. 6/A-19/94-95 etc. on dated 22.06.1995 vide arazi No. 304 and 305 inscribe the name of Neelkanth Ashram Oila Manager Collector satna on Land ownership was approved.

Allotment was made under the condition that Neelkanth Ashram would not have any ownership over the said land nor could it be sold without the permission of the collector. (**Annexure -12**)

4. Presently Siksha Mahavidhyalay and handicapped school is run by Swami Narayan in Arazi no. 305 & 304 and remaining part of arazi no. 304 Swami Narayan das Siksha Mahavidhyalay and residencial building are build.

5. Presently Government Swami Vivekanand College is running in Arazi No. 308 and 309.

6. Presently there is no pond, pond like structure present in said land.

7. Presently there no encroachment has been found in the said land.

➤ As per District Administration office Tahsil Maihar inspection report followings are :-

<p>building is being constructed on the banks of the pond. During such construction, 1000 number of fully grown trees was cutter down and filled the pond with debris for building construction, which were planted by the villagers on this land for fresh air and good environment. Also, this pond was boon to the residents of all nearby villages, as they are already surrounded by highly polluting area surrounded by various hazardous chemicals of industries. This piece of land which was made as pond by the villagers was the only green peice of land left with the villagers, which was a big sigh of relief for them and also this pond helped not only in combating the pollution of that area but also lot of folks of cattle and birds were dependent on the said pond for drinking water and lived around.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Report of said land as per Patwari Halka no.47 Barhi on dated 09.01.2024. (Annexure -13) • “Najari Naksha” is prepared by Patwari Halka no.47 Barhi on dated 08.01.2024. (Annexure -14) • “Sthal Panchnama” on dated 04.01.2024. (Annexure -15) • Statement by Dr. Arun Kumar Gautam , Principal Govt. Vivekanand College, Maihar on dated 06.01.2024. (Annexure -16) • Statement by Mr. Lalan Shahu on dated 06.01.2024. (Annexure -17) • Statement by Mr. Rajaram Tiwari on dated 06.01.2024. (Annexure -18)
---	---

C. Observations:

1. During inspection of the site no facts were found that 1000 trees had been planted.
2. In Arazi no. 305 & 304 Siksha Mahavidhyalay and handicapped school are run by Swami Narayan and remaining part of arazi no. 304 Swami Narayan Das Siksha Mahavidhyalay and residential building are build.
3. In Arazi No. 308 and 309. Government Swami Vivekanand College is running.
4. There is no pond, pond like structure present in said land
5. There no encroachment has been found in the said land.
6. During Site visit trees were found uprooted and cut in Swami Narayan Das college premises.

D. Action Taken:-

As per the order of Court Collector District Satna Madhya Pradesh case no. 6/A-19/94-95 etc. on dated 22.06.1995 that Neelkanth Ashram would not have any ownership over the said land nor could it be sold without the permission of the collector. But Neelkanth Ashram management has constructed a new college building without obtaining collector permission. So against the Neelkanth Ashram management action will be taken as per Rule.


E. Recommendation:-

The Neelkanth Ashram management should not do any further Expansion work like Construction etc. in future without obtaining the permission of the District Magistrate (collector) because as per the order of Court Collector District Satna Madhya Pradesh case no. 6/A-19/94-95 etc. on dated 22.06.1995 the ownership of the said land rests with the Collector .




Shri Rishi Pawar,

Additional District magistrate
Satna (M.P.).




Dr. Pushendra Singh
Regional Officer
Madhya Pradesh

Pollution Control Board Satna (M.P.)



Shri Yashpal Mehra
Sub Divisional Officer
Forest Department
Satna (M.P.)


**Photographs Taken During Joint Visit Inspection dated
06.01.2024**



Joint Inspection by Nominated Committee



Swami Vivekandanda College



Swami Vivekananda College Building



Swami Vivekananda College Campus



Photographs of Fallen Trees behind Neelkanth Ashram Boundary




Fallen Trees Behind Main Gate of Neelkanth Ashram



Under construction building of Neelkanth Ashram



Swami Narayan das College buiding at Neelkanth Ashram



Discussion Regarding Pond Verification



Discussion Regarding Neelkanth Ashram Boundary Wall



क्षेत्रीय कार्यालय,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

रीवा रोड मैहर बाई पास, सतना (म.प्र.)

E-Mail-romppcb_satna@rediffmail.com, website- www.mppcb.nic.in

क्रमांक 1130 /क्षे.का/प्र.नि.बो./पूर्व/2023,

सतना, दिनांक 29/12/2023

प्रति,

अपर कलेक्टर,
जिला सतना (म.प्र.)

विषय:- माननीय एन.जी.टी. भोपाल बेन्च द्वारा प्रकरण ओ.ए. 180/2023 (CZ) (विनोद कुमार अग्रवाल विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 13.12.2023 के अनुपालन बावत्।

सन्दर्भ:- मुख्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक 3613 दिनांक 15.12.2023 ।

—000—

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया माननीय एन.जी.टी. द्वारा प्रकरण ओ.ए. 180/2023 (CZ) (विनोद कुमार अग्रवाल विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 13.12.2023 (संलग्न) का अवलोकन होवे। पारित आदेश के अनुपालन में माननीय कलेक्टर महोदय जिला सतना द्वारा कलेक्टर सतना के प्रतिनिधि के रूप में राजस्व विभाग से संबंधित जानकारी हेतु आपको नामांकित किया गया है। माननीय अधिकरण द्वारा 4 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के निर्देश हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि राजस्व विभाग से संबंधित जानकारी 07 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें, जिससे प्रथम सप्ताह में स्थल विजिट कर माननीय एन.जी.टी. में समय-सीमा में रिपोर्ट प्रेषित किया जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

मात
3/29/2023

०/०

(डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी,

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सतना (म.प्र.)



क्षेत्रीय कार्यालय,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,



रीवा रोड मैहर बाई पास, सतना (म.प्र.)

E-Mail-romppcb_satna@rediffmail.com, website- www.mppcb.nic.in

क्रमांक 1131 /क्षे.का/प्र.नि.बो./पूर्व/2023,

सतना, दिनांक 29/12/2023

प्रति,

उप वन मण्डल अधिकारी,
मैहर, जिला मैहर (म.प्र.)

विषय:- माननीय एन.जी.टी. भोपाल बेन्च द्वारा प्रकरण ओ.ए. 180/2023 (CZ) (विनोद कुमार अग्रवाल विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 13.12.2023 के अनुपालन बावत्।

सन्दर्भ:-1. मुख्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक 3613 दिनांक 15.12.2023 ।

2. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल, सतना का पत्र क्र. 9797 दिनांक 19.12.2023 ।

—000—


महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया माननीय एन.जी.टी. द्वारा प्रकरण ओ.ए. 180/2023 (CZ) (विनोद कुमार अग्रवाल विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 13.12.2023 (संलग्न) का अवलोकन करें। पारित आदेश के अनुपालन में वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल सतना, जिला सतना द्वारा आपको वन मण्डल अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में पेड़ पौधे काटे जाने से संबंधित जानकारी हेतु नामांकित किया गया है। माननीय अधिकरण द्वारा 4 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के निर्देश हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि पेड़ पौधे काटे जाने से संबंधित जानकारी 03 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें, जिससे प्रथम सप्ताह में स्थल विजिट कर माननीय एन.जी.टी. में समय-सीमा में रिपोर्ट प्रेषित किया जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

०/८


(डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह)

क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सतना (म.प्र.)





क्षेत्रीय कार्यालय,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
रीवा रोड मैहर बाई पास, सतना (म.प्र.)



E-Mail-romppcb_satna@rediffmail.com, website- www.mppcb.nic.in

कमांक 1120 /क्षे.का/प्र.नि.बो./पूर्व/2023,

सतना, दिनांक 28/12/2023

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
जिला सतना (म.प्र.)

विषय:- माननीय एन.जी.टी. भोपाल बेन्च द्वारा प्रकरण ओ.ए. 180/2023 (CZ) (विनोद कुमार अग्रवाल विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 13.12.2023 के अनुपालन बावत्।

सन्दर्भ:- मुख्यालय भोपाल का पत्र कमांक 3613 दिनांक 15.12.2023।

—000—

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया माननीय एन.जी.टी. द्वारा प्रकरण ओ.ए. 180/2023 (CZ) (विनोद कुमार अग्रवाल विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 13.12.2023 (संलग्न) का अवलोकन होवे, पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नानुसार है :-

5. Respondents are directed to submit their reply within six weeks through e-filing portal, preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.
6. We further constitute a committee consisting of :
 - i. One representative from Collector District Satna (M.P.)
 - ii. One representative from DFO Satna (M.P.)
 - iii. One representative from State Pollution Control Board (M.P.)
7. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within four weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.

उक्त पारित आदेश दिनांक 13.12.2023 के परिपालन मे माननीय अधिकरण द्वारा संयुक्त कमेटी का गठन कर कमेटी को 4 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के निर्देश हैं। उक्त के परिपालन में कृपया कलेक्टर सतना के प्रतिनिधि के रूप में एक सदस्य नामाकित करने का अनुरोध है ताकि माननीय एन.जी.टी. में रिपोर्ट समय-सीमा में प्रेषित किया जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

O/C

(डा. मुष्पेन्द्र सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी,

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सतना (म.प्र.)



कार्यालय



वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल सतना (म.प्र.)

(मुख्तियारगंज रेल्वे फाटक के पास, सिविल लाइन, सतना)

E.Mail.dfotsatna@mp.gov.in

Phone. 07672-223355

क्र./संरक्षण/न्याया0/आडिट/

/सतना, दिनांक

प्रति,

प्राधिकृत अधिकारी एवं
उपवनमण्डल अधिकारी, मैहर

विषय:-

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सेन्ट्रल जोनल बेन्च भोपाल में दायर प्रकरण कमांक ओ0ए0 180/2023 श्री विनोद कुमार अग्रवाल विरुद्ध म0प्र0 शासन में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2023 में विभाग की ओर से प्राधिकृत किये जाने के संबंध में।

दर्भ:-

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सेन्ट्रल जोनल बेन्च भोपाल में दायर प्रकरण कमांक ओ0ए0 180/2023 श्री विनोद कुमार अग्रवाल विरुद्ध म0प्र0 शासन में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2023

—000—

विषयांतर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सेन्ट्रल जोनल बेन्च भोपाल में दायर प्रकरण कमांक ओ0ए0 180/2023 श्री विनोद कुमार अग्रवाल विरुद्ध म0प्र0 शासन में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2023 में एक समिति गठित की गई थी, जिसमें वन विभाग की ओर से आपको प्राधिकृत किया जाता है।

अतः आप जिला कलेक्टर सतना द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर 04 सप्ताह के अंदर उपरोक्त स्थल का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, एवं उपरोक्त प्रतिवेदन को माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की वेबसाइट ngtczbbho-mp@gov.in में पी0डी0एफ0/ओ0सी0आर0 के रूप में जमा करना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- माननीय न्यायालय के निर्णय की प्रति।

—sd—

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल, सतना

प.क./संरक्षण/न्याया0/आडिट/9797

/सतना, दिनांक 13-12-2023

प्रतिलिपि:-

1- जिला कलेक्टर सतना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय सतना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

sd
वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल, सतना

28/12



क्षेत्रीय कार्यालय

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

रीवा रोड मैहर-अमरपाटन बाई पास, सतना (म.प्र.)

e-Mail-romppcb_satna@rediffmail.com, website- www.mppcb.nic.in

क्रमांक 1147/क्षे.का./ प्रनिबो/पूर्व/2024,

सतना, दिनांक:-

02/01/2024

प्रति,

सी.आर. जया सुकिन,

याचिकाकर्ता की अधिवक्ता,

सी-112, लाजपतनगर II नई दिल्ली - 24]

एस.सी.बी.ए.-एलआईबी 1 सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली - 01

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 180/2023 (सी. जेड) (विनोद कुमार अग्रवाल एवं अन्य विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) के संबंध में दिनांक 06.01.2024 को समय सुबह 11:00 बजे स्थल निरीक्षण की सूचना बावत्।

---000---

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 180/2023 (सी. जेड) (विनोद कुमार अग्रवाल एवं अन्य विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) के संबंध में जिला मैहर में कमेटी द्वारा दिनांक 06.01.2024 को समय सुबह 11:00 बजे संयुक्त स्थल निरीक्षण किया जाना है अतः आपसे अनुरोध है कि संयुक्त निरीक्षण के दौरान संबंधित को निरीक्षण के समय उपस्थित रहने का अनुरोध है।

(डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह)

क्षेत्रीय अधिकारी

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सतना (म.प्र.)

012



क्षेत्रीय कार्यालय

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

रीवा रोड मैहर-अमरपाटन बाई पास, सतना (म.प्र.)

e-Mail-romppcb satna@rediffmail.com, website- mppcb.nic.in



**Hon'ble National Green Tribunal (NGT),
Original Application No. 180/2023 (CZ)
Vinod kumar Agrawal Vs M.P. Government. & Others.**

S.No.	Name	Designation	Contact No.	E-mail Id	Signature
1.	श्री सुषि चवार	रडीरम. सतना			
2.	डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह	क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्र. नि. बो. सतना	9407001217		
3.	डॉ. अरुण कुमार गौतम	प्राचार्य, महाविद्यालय	7000917728		
4.	सबापाल मेहरा	S.D.O. (Forest) Mairhar	7000558560		
5.	श्री विवेक पटेल	तहसीलदार, मैहर	7021079462		
6.	प्रतिभा सिंह	पटवारी न.ग. व.स.	932937089		
7.	श्री दिवाकर मिश्रा	राजस्व निरीक्षक, मैहर	9340817425		
8.	श्रीमती प्राची पण्डित	SE MP CD	9302560889		
9.	सुमित चौरसिया	म.प्र. प्र. नि. बो.	8839818581		
10.	डा. डी. सिंह,	अवर कमर	91122286		
11.	राजारास लिकारी	मैहर	7697992300		
12.					

कार्यालय उप वन मण्डलाधिकारी मैहर, वन मण्डल सतना (म०प्र०)

(पुलघटा के पास, देवीजी रोड, मैहर)

कमांक/८४
प्रति,

मैहर, दिनांक/०७/०१/२०२४

क्षेत्रीय कार्यालय

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सतना (म.प्र.)

विषय— माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सेन्ट्रल जोनल बेन्च भोपाल में दायर प्रकरण कमांक ओ०ए० 180/2023 श्री विनोद कुमार अग्रवाल विरुद्ध म०प्र० शासन ने पारित निर्णय दिनांक 13.12.2023 में विभाग की ओर से प्राधिकृत किये जाने के संबंध में।

संदर्भ— 1. आपका पत्र कमांक/1131/क्षे.का./प्र.नि.बो./पूर्व/2023 सतना, दिनांक 29.12.2023।

2. वन मण्डलाधिकारी सतना का पत्र कमांक/9797 दिनांक 19.12.2023।

—00—

विषयांतर्गत अनुरोध है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सेन्ट्रल जोनल बेन्च भोपाल में दायर प्रकरण कमांक ओ०ए० 180/2023 श्री विनोद कुमार अग्रवाल विरुद्ध म०प्र० शासन ने पारित आदेश दिनांक 13.12.2023 से वृक्षों की कटाई के संबंध में जानकारी चाही गई थी। जिस पर प्रकरण में पटवारी हल्का बैलाखास बरही कमांक 47 एवं अन्य कर्मचारियों को साथ लेकर मौका स्थल का सत्यापन करने हेतु स्वामी नीलकण्ठ ट्रस्ट द्वारा संचालित स्वामी नारायण दास शिक्षा महाविद्यालय परिसर का निरीक्षण के दौरान हल्का पटवारी द्वारा बताया गया कि उक्त स्थल ही आराजी कमांक 304 एवं 305 है, जिसमें संस्थान द्वारा महाविद्यालय भवन एवं बाउन्ड्रीबाल निर्माण कार्य कराया गया है। साथ ही खसरा कमांक 308 एवं 308 के अंश भाग में शासकीय स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय परिसर बना है, जिसमें शिक्षा कार्य संचालित होता है। पंचानों की उपस्थिति में स्वामी नारायण दास शिक्षा महाविद्यालय परिसर के चारों ओर घूम फिर कर देखा गया जिसमें यूकेलिप्टस प्रजाति के वृक्ष उखड़े एवं कटे हुए पाये गये। मौके पर उखड़े एवं कटे हुए वृक्षों की पैमाईस की गई एवं मौका पंचनामा तैयार किया गया। दिनांक 04.01.2024 को पुनः मौके पर संस्थान में खड़े वृक्षों की पैमाईस सेवादार श्री राजेन्द्र तिवारी उर्फ राजा तिवारी तथा अन्य कर्मचारियों के समक्ष की गई, जिसमें परिसर में मात्र तीन नग पलाश, नीम एवं बेल के वृक्ष पाये गये। दिनांक 06.01.2024 को अतिरिक्त कलेक्टर सतना, अनुविभागीय राजस्व मैहर, तहसीलदार मैहर एवं क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्राचार्य स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय मैहर एवं इत्यादि के द्वारा विषयांकित स्थल का स्थल निरीक्षण किया गया और उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जाकर स्वामी नारायण दास शिक्षा महाविद्यालय परिसर के सेवादार राजाराम तिवारी निवासी वार्ड कमांक 21 तथा परिसर के सामने शारदा ट्रेडर्स से संचालक ललन साहू पिता बालकिशन साहू के कथन लेख किये गये, जिसमें सेवादार द्वारा कथन लिखाया गया कि मैं विगत 16 वर्षों से आश्रम की सेवा कर रहा हूँ। आश्रम के

कार्यो जैसे- खेती, किसानी, शिक्षण संस्थान की देखरेख का कार्य करता हूँ। मेरी जानकारी में शिक्षण संस्थान परिसर में 10-12 पेड़ मौजूद थे, जो कि धीरे-धीरे आंधी-तूफान में गिरते गये। अभी 3-4 माह पूर्व बाउन्ड्रीलाईन से लगे यूकेलिप्टस के पेड़ विद्युत लाईन के ऊपर गिर गये थे, जिसकी सूचना संस्थान द्वारा विद्युत विभाग को दी गई, विद्युत विभाग के कहने पर ही संस्थान द्वारा गिरे वृक्षों की कटाई करवाकर, अगल रखवाया गया था। इसी तरह का कथन ललन साहू द्वारा भी दिया गया। मौके पर उखड़े एवं काटे गये वृक्षों की फोटोग्राफ्स संलग्न है। दिनांक 07.01.2024 को पत्र के परिपालन में पटवारी हल्का से सम्पर्क कर आराजी क्रमांक 308, 308 के अंश भाग शासकीय स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय परिसर में खड़े वृक्षों की गणना की गई, जहां महाविद्यालय के कर्मचारियों के साथ महाविद्यालय परिसर में खड़े वृक्षों की गणना की गई एवं फोटोग्राफ्स लिया गया, जिसमें महाविद्यालय परिसर में 200 वृक्ष मौजूद पाये गये। उक्त स्थल का फोटोग्राफ्स लिया गया जो संलग्न है। साथ ही ओइला मंदिर के बगल में बसे गांव घूरपुरा में भी जाकर जानकारी ली गई एवं उनके कथन लिया गया, जिसमें बाबूलाल कोल पिता पूसू कोल निवासी घूरपुरा उम्र 62 वर्ष वार्ड नंबर 20 ने कथन में बताया कि मैं मूलरूप से इसी गांव का निवासी हूँ, मेरी जानकारी के अनुसार ओइला मंदिर की बगल की जमीन जहां महाविद्यालय परिसर बना है वह जमीन पूर्ण रूप से खाली थी, जिसमें एक छोटी सी पोखरी (छोटा तालाब) जिसमें बरसात का पानी मात्र रुकता था, जो 2-3 महीने के लिए होता था। यह सत्य है कि मेरी जानकारी में उक्त आराजी मात्र 15-20 पेड़ लगे थे। निरीक्षण एवं सत्यापन के दौरान आराजी क्रमांक 304, 305, 308 एवं 309 में कुल 205 नग वृक्ष खड़े पाये गये, जिसमें की 7 नग यूकेलिप्टस के पेड़ आंधी-तूफान से गिरे एवं कटे हुए स्वामी नारायणदास परिसर में रखे पाये गये, जिसका गणना पत्रक तैयार किया गया। उक्त स्थल के सत्यापन एवं निरीक्षण के दौरान ऐसे तथ्य नहीं पाये गये कि 1000 वृक्ष लगाये गये हों। प्रतिवेदन आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।


संलग्न- उपरोक्तानुसार पृ.क्र. 01 से 10 तक एवं फोटोग्राफ्स 10 नग।

पृष्ठांकन क्रमांक/65
प्रतिलिपि:-

1. वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल सतना को आपके पत्र क्रमांक/संरक्षण/न्याया./आडिट/9796 दिनांक 19.12.2023 के तारतम्य में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।


उप वन मण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल मैहर

मैहर, दिनांक/07/01/2024


उप वन मण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल मैहर

प्रति

श्री मान् उपवनमण्डलाधिकारी मधेदप

उप वनमण्डल-मैदर, वन मण्डल-सतना (म.प्र.)

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण चेन्नाई जोनल बेंच भोपाल में दायर प्रकार क्रमांक भं.ए. 180/2023 श्री विनोद कुमार आग्रवाल विरुद्ध म.प्र. शासन में पारित निर्णय दिनांक 13/11/2023 के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है की उक्त प्रकार के संबंध में दिनांक 14/11/2023 को श्री मान् वन मण्डलाधिकारी मधेदप सतना के पत्र के पालन में श्री मान् वन परिक्षेत्र अधिकारी मैदर पटवारी हल्का बैला खास बरही क्रमांक 47 एवं अन्य कर्मचारियों को लेकर मौका स्थल का सत्यापन करने हेतु स्वामी नील कठ जी महराज के द्वारा स्वामी नारायण दास शिक्षा मध विद्यालय परिसर में जाये जहाँ साथ में मौजूद हल्का पटवारी द्वारा बताया गया की उक्त स्थल की आगामी क्रमांक 304 एवं 305 है जिनमें शिक्षा संस्थान द्वारा मध विद्यालय भवन एवं बड़ोड़ी बल का निर्माण कार्य कराया गया है। साथ ही बताया गया की रबरा क्रमांक 308 एवं 309 के अंश भाग में यासकीय स्वामी विवेकानंद मध विद्यालय परिसर बना है जिसमें शिक्षा कार्य संचालित है। सत्यता पंचाना की उपस्थिति में नारायण दास शिक्षा परिसर के पास ओर दूर फि का देखा गया जिसमें घरे लिटिस प्रजाति के वृक्ष उबड़े हुए व बोगाई (लॉगिंग) कार्य हुए जाये गये। मौके पर उक्त वृक्षों की पैमाइस कर सूची तैयार की गई। पंचनामा व सूची संलग्न है। दिनांक 14/11/2023 को पुनः मौके में जा कर उसी संस्थान परिसर में खड़े वृक्षों की पैमाइस संस्थान के वेवदार श्री राजेन्द्र तिवारी उर्फ राजा राम तिवारी तथा अन्य कर्मचारियों के समक्ष कर गई जिसमें परिसर में मात्र 03 का पलास नील व वेल के खड़े वृक्ष पाये गये। जिसका पंचनामा संलग्न है। दिनांक 01/12/2023 को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में जा कर स्वामी नारायण दास संस्थान के प्रतिनिधि वेवदार राजाराम तिवारी, 510 बालमन तिवारी निवासी-मैदर बर्ड नं. 21 तथा परिसर के सामने शाखा डेप्टी के वंचाल लहन साहू 510 बाल विभाग साहू के अधिलेख किये गये। जिसमें सेवा-दार द्वारा करण लिखा का बताया गया की मैं विगत 16 वर्षों से आग्रम में सेवा कर रहा हूँ व आग्रम के कार्य में जैसे खेती-किसानी, शिक्षा संस्थान निर्माण कार्य की देर देर का का. 22 करण हूँ मेरी जानकारी के अनुसार शिक्षा संस्थान परिसर में 10-12 फीट मौजूद थे जो की धीरे-धीरे आँधी-दफान के कारण


गिरते मधे। अभी 3-4 माह पूर्व आधी-तफान के कारण बाउण्ट्री
 लाइन में लगे बड़े लिमिटेड के पेड़ विधुत लाइन के ऊपर
 गिर गये थे जिसकी वजह से जंगल द्वारा विधुत विभाग को
 दी गई थी जिनके अछे पर ही संभालन द्वारा कटवा कर
 रखा गया है व मौके पर पेड़ भी हैं। इसी तरह का अथन लकड़
 लाह द्वारा भी किया गया है। मौके पर ही उखड़े एवं काटे गये
 वृक्षों की फोटे-ग्राफी की गई जो संलग्न है। दिनांक 11/2/24 को
 भी श्री मान जी के पत्र के परिपालन में पटवारी हल्का से सम्पर्क
 स्थापित कर आराजी क्रमांक 308 व 309 के अंश भाग स्वामी
 विवेकानंद मध्य विद्यालय परिसर में बड़े वृक्षों की गणना हेतु
 गये जहाँ पर मध्य विद्यालय के कर्मचारी एवं विभागीय कर्मचारियों
 के साथ बड़े वृक्षों की गणना एवं फोटे-ग्राफी की गई जिसमें
 परिसर क्षेत्र में छोटे एवं बड़े वृक्षों की 202 नग प्रजाति
 विद्यालय परिसर में लगी हुई पाई गई जिसका पंचनामा एवं
 सूची संलग्न है। इसी दिनांक के ओइला मंदिर के बगल के
 गाँव पुरपुरा में जो कर अन्त व्यक्ति के इस संबंध में जानकारी
 एवं तथ्य लिए गये जिसमें नाबूलाल कोल 50 बूख कोल, गिवासी
 पुरपुरा, उम्र 62 वर्ष वार्ड नं. 20 में अथन दे कर बताया की
 मैं कोल रूप में एसी गाँव की गिवासी हूँ मेरी जानकारी के अनुसार
 ओइला मंदिर के बगल की जमीन पर जहाँ मध्य विद्यालय परिसर
 बना है वह जमीन पूर्ण रूप से खाली थी जिसमें मात्र एक छोटी
 सी पोखरी थी जिसमें नरसात का पानी मात्र एकत्र था जो 2-3 महीनों
 के लिए होता था यह यथार्थ है की मेरी जानकारी में भी उक्त स्थल
 में मात्र 15-20 पेड़ लगे थे। निरीक्षण एवं जाँच के दौरान आराजी
 क्रमांक 304, 305, 308 एवं 309 में कुल 205 नग बड़े वृक्ष उक्त
 आराजियों में पाये गये जिसमें की 03 नग बड़े लिमिटेड के पेड़
 आधी के उखड़े एवं बड़े हुए स्वामी नारायण दास विद्यालय
 परिसर में पाये गये हैं, जिनका हानि पत्र भी तैयार किया गया
 है जो संलग्न है। अतः प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री मान
 जी की ओर ध्यान सम्प्रेषित है।

संलग्न :- पंचनामा 03 नग
 पैमाइल सूची 07 नग
 कथन 03 नग
 फोटे-ग्राफी 10 नग

कुंई नरवाल
 मीटर

हम पंचनाम अधोदस्तावर कर्ता घट लक्ष्मीक करते हैं की आज दिनांक ५/०१/२०२५ को श्री मानू वरमण्डल अधिकारी मधेदम खन्ना के पत्र क्रमांक /संरक्षण /न्याया- /आडिट /१७७६ दिनांक १७/१२/२०२३ के परिपालन में, माननीय एन.जी.डी. भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण ओ.ए. १८०/२०२३ (८२) (बिनोद कुमार अग्रवाल विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन व अन्य) के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक १३/१२/२०२३ के अनुपालन में श्री मानू उपवनमण्डल अधिकारी मधेदम मैहर, श्री मानू वरपरिक्षे अधिकारी मधेदम मैहर व अन्य वर कर्मचारी मौका स्थल वैला खास पटवारी हल्का पहुँचे। मौका स्थल में उपस्थित हल्का पटवारी द्वारा बताया गये खसरा नम्बर ३०५, ३०५, ३०८ व ३०९ का निरीक्षण किया गया निरीक्षण में पाया गया की खसरा नम्बर ३०५ व ३०५ में ०७ नागा म्र.के. लिखिस के पेट काटे व उखाड़े गये हैं जिनकी मौके से पैसाइस की गई एवं पैसाइस सूची तैयार की गई। उक्त खसरा नम्बर पर ही स्वामी नारायण दास शिवा मद्य विधालय संचालित है। हल्का पटवारी द्वारा बताया गया की खसरा नम्बर ३०८ व ३०९ में विवेकानन्द मद्यविपाठ भवन परिसर बना हुआ है। मौके में उपस्थित पंचानों के समक्ष मौका पंचनामा तैयार किया गया जिसे पर-सु-कर दस्तावर किया जा रही एवं काम है।


५६५५७
५-१-२५


R.O. Madhav

पंचनामा मेरे द्वारा लेख
निष्प गथा


व.ई. मैहर

सूची

④

क्र.	प्रजाति	गोलाई	लम्बाई / ऊंचाई	उभारली टिवा	जलाक फुल
1.	घ.के. लिपिस	2.20 मी.	2.40 मी.	0.8800	0.2200
2.	— " —	2.40 मी.	2.40 मी.	0.8800	0.2200
3.	— " —	1.40 मी.	1.10 मी.	0.4800	0.1200
4.	— " —	0.70 मी.	0.90 मी.	0.2400	0.0600
5.	— " —	1.25 मी.	0.80 मी.	0.1300	0.3250
6.	— " —	1.60 मी.	3.60 मी.	0.6700	0.1675
7.	— " —	1.35 मी.		0.4800	0.1675
				3.760 च.मी.	1.28 च.मी.

उभारली

3.760 च.मी.

दर

8719/-

राशि

32783.44

32783 =

जलाक

1.28 = 1 1/2 च.मी.

4493 =

37276 =

(राजसाम लिगरी)

Chauhan

Chauhan

कुर्क-कनफडा
मैदा


मौके पंचनामा


(2)

हम पंचायत अधोद्वारा करी यह पंचनामा (सी-
 लही तहसील करते हैं की आज दिनांक 11/12/24 को
 श्री मान बन महालाधिकारी मध्यम तहना के पत्र क्र/संख्या/
 मय. /आडिट/9796 दिनांक 14/12/2023 के परिपालन में, माननीय
 एन. जी. टी. भोपाल बैज शरा प्रकार को. ए. 180/2023 (CZ)
 (बिन्दु कुमार धातवाल विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन व अन्य) के
 अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 13/12/2023 के निर्णय से संबंधित
 जांच श्री मान बन परिक्षेत्र अधिकारी मैहर, पटवारी हल्का
 नम्बर 47 तथा स्वामी नील कण्ठ जी महाराज के प्रतिनिधि-
 सेवादार राजेन्द्र तिवारी निवासी- मैहर तथा अन्य कर्मचारियों
 की उपस्थिति में स्वामी नारायण दास शिक्षा मध्यविद्यालय ओडला
 मैहर परिसर में गये जहाँ पर उपस्थित पटवारी हल्का नैला
 खास डमरी नं. 47 द्वारा बताया गया की इन परिसर खसरा
 क्रमांक 304 एवं 305 है, जिसमें नील कण्ठ महाराज जी इस
 के संस्थान द्वारा मध्यविद्यालय भवन का निर्माण एवं परिसर के
 चारों तरफ बाड़ोड़ी बॉल का निर्माण कार्य कराया हुआ पाया
 गया, मौके पर ही पंचानों द्वारा कॉलेज परिसर के चारों
 ओर घूम-फिर कर देखा गया जिसमें परिसर में खड़े
 पाये गये खड़े की गड़ना एवं पैसाइस की गई जिनका विवरण
 निम्नवत पाया गया -

क्र	प्रजाति	गोलाई (G.B.H)
1.	पलास	140 Cm.
2.	बेल	100 Cm.
3.	नीम	140 Cm.

इन पैसाइस का परिसर क्षेत्र में पंचानों द्वारा देखा गया की
 ऊँचे बड़े सिविल के पेड़ उखड़े एवं बोंगाई लिये हुए हैं जिनकी
 पैसाइस एवं फोले गाली कर रखी है पार की गई, मौके पर ही
 पटवारी हल्का द्वारा बताया गया की शेष आराजी क्रमांक 308,
 एवं 309 जो की स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय मैहर का परिसर है
 जिसमें शिक्षा कार्य संचालित है। उत्पश्चात मौके पर उपस्थित
 पंचानों के समक्ष पंचनामा तैयार किया गया एवं पर-पुत्र का दस्तावेज
 किया जा रही एवं हास है।


 Anand


 Chandra

 पंचनामा में द्वारा बैज बिशुअ

 Bijusha

मौका पंचनामा

(4)

हम पंचनाम अधोदस्तावर कर्ता यह तरीक करते हैं की आज दिनांक 11/12/2024 को श्री मातृ वन मण्डलाधिकारी महोदय यतना के पत्र क्र/संरक्ष/न्याय./आडिट/9996 दिनांक 19/12/2023 के परिपालन में, माननीय एन. जी. टी. भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण भो. ए. 180/2023 (CZ) (बिनोर कुमार अग्रवाल विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन व अन्य) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 13/12/2023 के निर्णय से संबंधित जाँच श्री मातृ वन परिवेत्र अधिकारी मैडर, पटवारी हल्का नम्बर 47 तथा स्वामी नील कण्ठ जी महाराज के प्रतिनिधि सेवादार राजेन्द्र तिवारी निवासी-मैडर, विवेकानंद महा विद्यालय के प्रतिनिधि तथा अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति में विवेकानंद महा विद्यालय परिसर मैडर में गये जहाँ पर उपस्थित हल्का पटवारी वैला खास इमरी नं. 47 द्वारा बताया गया की उक्त परिसर खपरा क्लोड 308 एवं 309 के अंश भाग में स्थित है। परिसर के अंदर खड़े हुए छोटे तथा बड़े बूझों की गड़ना एवं पैमाइस की गई हैं जिनमें छोटे एवं बड़े बूझों के तिलकट डल 202 का बूझ मिश्रित प्रकृति के पाये गये जिनकी खची मोडे पर तैमार की गई। लक्ष्मनात मौके में उपस्थित पंचानों के समक्ष मौका पंचनामा तैमार किया गया उपस्थित पंचानों द्वारा पंचनामा एवं खची में प्र-इत का दाखला किया गया जो सही एवं सल है।

पंचनामा मेरे द्वारा लेख
किया गया।
[Signature]
ब. श. मैडर

[Signature]
अपरिदस्तावर
मैडर
[Signature]
Kury

नारायण
अ-वीप CUG

34	करिब	0.60	...
35	नीम	0.50	...
36	सागौन	0.84	...
37	सीसा	0.75	...
38	आम	0.58	...
39	सागौन	0.22	...
40	---	0.47	...
41	---	0.35	...
42	---	0.25	...
43	बरुम	0.30	...
44	---	0.35	...
45	करिब	0.56	...
46	रुमेल	0.82	...
47	सागौन	0.88	...
48	रुमेल	0.18	...
49	करिब	0.52	...
50	---	0.42	...
51	रुमेल	0.40	...
52	सागौन	0.15	...
53	---	0.60	...
54	---	0.12	...
55	करिब	0.72	...
56	सीसा	0.62	...
57	---	1.60	...
58	सागौन	0.70	...
59	---	0.10	...
60	---	0.10	...
61	पाण्डु	0.05	...
62	सागौन	0.10	...
63	---	0.10	...
64	आम	0.10	...
65	रुमेल	0.12	...

बरुम
 सागौन लाल
 20/10/05
 Kulkarni

66	पीपल	0.36 मी	
67	पीपल	0.56	
68	करंज	0.08	
69	—	0.10	
70	अमरुद	0.24	
71	आम	0.12	
72	बेल	0.24	
73	सीताफल	0.16	
74	—	0.08	
75	गुलमोहल	0.24	
76	अमरुद	0.12	
77	पुजारीक	0.12	
78	आम	0.16	
79	खीरस	1.20	
80	बगौंज	0.22	
81	—	0.32	
82	करंज	0.32	
83	—	0.22	
84	—	0.20	
85	आम	0.10	
86	बशांडे	0.24	
87	खीरस	1.34	
88	—	2.16	
89	काजू	0.40	
90	पीपल	1. मी	
91	—	0.66	
92	पीपल	1.70	
93	लाडू	0.80	
94	गुलमोहल	1.90	
95	आम	1.26	
96	—	0.94	
97	ककू	0.22	
98	अमरुद	0.32	

गुलमोहल
अमरुद

Kumar

BT

BT
व.र.मैल

अमरुद

99	अबल	0.32
100	चिरोल	0.10
101	रेडज	0.20
102	कापू	0.12
103	दशोड	1 मी.
104	-	0.90
105	लाकुर	1.60
106	शीलक	1.84
107	सिंहर	0.22
108	करंठ	0.64
109	-	0.44
110	-	0.70
111	-	0.64
112	-	1.36
113	-	0.44
114	धावल	0.60
115	-	0.50
116	-	0.42
117	शीलक	0.72
118	धावल	0.42
119	लागोट	0.80
120	सी बवल	0.70
121	धावल	0.34
122	शीलक	0.78
123	धामरुद	0.20
124	धावल	0.90
125	धामरुद	0.12
126	लागोट	0.80
127	करंठ	0.32
128	धावल	0.60
129	धामरुद	0.30
130	करंठ	0.20
131	धावल	0.34

सोहन अ 104
 2-9-2020

[Signature]
 31 ||

कर्म. नमस्कार

132	शील	0.80	101
133	बबल	0.52	101
134	-	0.60	101
135	-	0.60	101
136	शील	0.60	101
137	-	0.34	101
138	बबल	0.70	101
139	-	0.60	101
140	अमर	0.24	101
141	अमर	0.66	101
146	-	0.32	101
147	लोबल	1.10	101
148	-	0.80	101
149	नील	0.10	101
150	लाल	0.08	101
151	नील	0.08	101
152	बबल	0.40	101
153	अमर	0.40	101
154	शील	2.10	101
155	-	1.20	101
156	-	1.10	101
157	कडुवा	0.80	101
158	-	0.36	101
159	शील	0.75	101
160	-	0.10	101
161	शील	1.54	101
162	कडुवा	1.00	101
163	बबल	0.38	101
164	बुरैया	0.18	101
165	-	0.14	101
166	बेस	0.06	101
167	अमर	1.30	101
169	अमर	3.00	101

गणना
अनुसूची

अमर

169	अरुण	0.24		
170	-	1.46		
171	श्रीलक्ष्मी	1.16		
172	अरुण	1.10		
173	-	0.94		
174	-	0.94		
175	-	1.20		
176	-	0.64		
177	श्रीलक्ष्मी	1.20		
178	अरुण	1.40		
179	-	1.20		
180	-	1.06		
181	अरुण	0.36		
182	अरुण	0.24		
183	अरुण	1.60		
184	-	1.20		
185	-	1.20		
186	-	1.10		
187	-	0.70		
188	अरुण	0.18		
191	सोवरा	0.56		
190	-	0.64		
191	-	0.88		
192	अरुण	0.66		
193	विशाल	0.26		
194	सोवरा	0.30		
195	-	0.70		
196	-	0.50		
197	-	0.60		
198	-	0.50		
199	-	0.30		
200	श्रीलक्ष्मी	0.12		
201	सोवरा	0.30		
202	अरुण	0.16		

विशाल सोवरा

अरुण

श्रीलक्ष्मी

अरुण

अरुण

कथन

श्री. राजा राम तिवारी 510 स्व. श्री लालमन तिवारी, उम्र-
40 वर्ष, निवासी - बार्ड नम्बर 21 मैहर, थाना - मैहर, जिला -
मैहर (म. प्र.)


मैं आज दिनांक 6/11/2024 को श्री मान् उपवनमण्डल
अधिकारी महोदय मैहर के समक्ष अपना कथन लिखा रघ
हूँ की मैं स्वामी नील काठ महाराज जी के आश्रम में एक
संस्थान में एक सेवादार के रूप में रह कर विगत 16 वर्षों
के आश्रम के कर्मों में अपना सहयोग प्रदान करता हूँ,
जिसमें आश्रम के संबंधित कार्य जैसे खेती-मिलानी, शिक्षण
संस्थान निर्माण कार्य देख-रेख का कार्य करता हूँ, यह
की मेरी जानकारी के अनुसार उक्त विद्यालय परिसर में
छोटे-बड़े मिट्टा कर 10-12 फीट मौजूद थे जिसमें सतकठा
प्रजाति के नील, पलास बड़े लिखिस के पेड़ थे जो धीरे-
धीरे झोंधी एवं दरफान के कारण गिरते गये। अभी हाल में
लगभग 3 महीने पहिले झोंधी-दरफान के कारण बाहुकी बाल
के उपर से लगी विद्युत बिभाग की लाइन में कुछ पेड़ टूट
कर गिर गये थे जिसकी दूरपना संस्थान द्वारा विद्युत बिभाग
को दी गई थी जिनके कहने पर ही संस्थान द्वारा विद्युत
लाइन को अभावित करने वाले बड़े लिखिस के वृक्षों
की कटाई संस्थान द्वारा की गई है। यह जल है की
पूरी उक्त परिसर में शिक्षण संस्थान संचालित है जिससे
वृक्षों की कारणों गिरने के क्षत्रों के उकसान होने की
संभावना के कारण उक्त वृक्षों की कटाई संस्थान द्वारा
कराई गई है। नस मेर श्री कथन है जो सत्य एवं सही
है।

कथन मेरे द्वारा लेख
किया गया।


रा. र. मैहर

कथन मेरे समक्ष लेख

र
रुद्रमनमण्डल


राज्याराम तिवारी

6/11/24 34

श्री लालन साहू S/O बालकिशन साहू उम्र 31 साल निवासी
उयनी बस्ती मैह जिला-मैहल छत्ता (म.प्र.)

मैं आज दिनांक 6.11.2023 को श्रीमान इपवनमण्डलादिनी
मधेय मैह के साथ N.G.T में की गई शिकोयत के संबंध
में अपना कथन निम्न रख चुंकि मैं आज दिनांक 6 अक्टूबर
शारदा वर्डवेयर के नाम से श्री स्वामी नारायण दास बिष्णु संस्थान
मोईना परिसर के सामने दुकान खोला था। मैरी जानकारी के
अनुसार मैरे सामने श्रीमी नीलकण्ठ संस्थान डा. मन्मथराय
भवन एवं परिसर हैं जिस्में गाँव उखेत के बच्चों का शिक्षण
कार्य स्वामी जी के संस्थान के द्वारा करवा जाता है। परिसर
ऐस में बच्चों के खेलने एवं रहने के लिए स्थान है। मैरी
जानकारी के अनुसार यह सत्य है कि आज से लगभग 3-4
माह पूर्व संस्थान की सामने वाली बरछी के किनारे लगे फेंकने
के फेड़ आँधा वृक्ष के कारण गिर गये। जिनको नीलकण्ठ
संस्थान के कर्मचारियों द्वारा कपड़े एवं बोगाई छले सामने
परिसर में रख गया है। जो कि आज दिनांक को भी
मौका स्थल पर ही रखे हैं। यह सत्य है कि इसे शक्की
जानकारी नहीं है कि परिसर स्थल में कितने फेड़ लगे थे, क
कितने काटे गये हैं। मैरे बाप प्रेमलियारिस के मैझे की छी
कपड़े व फेंकने का कार्य कर्मचारियों द्वारा करते हुए देखा
गया था। ऊपर परिसर में लालाव था या नहीं, इसकी जान
-दस्तावा बयानकर्ता -
चोप

गवाह

वस यही मैरा कथन है।

बयान मेरे समसालिख
गया

बयान मेरे द्वारा लिख गया

1 - @Rajendra

Signature
व.रं. वैश्या

2 राजकुमार

डा. रं. वैश्या

शायद अब कुछ दिनांक उपरु डीलर 62 वर्ष पिकासी पुरपुरा
वर्ड 80 20 मीटर 150 मीटर मिला मीटर (म 0 50)

में आज दिनांक 11/2024 को उपवनमण्डल अधिक्कारी मधेदय मीटर
के समक्ष नीलकण्ठ दास शिक्षा संस्थान के प्रति एन.जी.पी. में की
गई शिक्षा के संबंध में अपना कथन सस-सस लिखन रख
हूँ की में पुरपुरा वर्ड नं. 20 का मूल निवासी हूँ, यह की मेरी
जानकारी के अनुसार आज से लगभग 30-40 वर्ष पूर्व ओडला
मंदिर आश्रम के बगल की जमीन पूरी तरह से खाली पड़ी
थी जिसमें गौव-देघत के लोग मवेशी-पराते थे, उक्त जमीन
पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं था उसी जमीन
पर मात्र एक छोटी सी पोखरी जैसी तैलैया थी, जिसमें
बरसात के दिनों में 2-3 महीनों के लिए थोड़ा-बहुत पानी भर
रहा था और उसकी मेड़ पर 15-20 फेड़-पौधे मिश्रित
प्रजाति के थे। बाद में नीलकण्ठ महाराज के आश्रम द्वारा
बच्चों के लिए शिक्षा संस्थान का निर्माण कार्य कराया
गया। जिसमें वर्तमान में कॉलेज एवं बाउण्ड्री वाल का निर्माण
उन्ही के संस्थान द्वारा कराया गया है। निर्माण कार्य के दौरान
एक खासद बह पोखरी धीरे-धीरे भट गई होगी यह कब
भटी होगी इसकी जानकारी मुझे नहीं है। यह सच है की
उक्त परिसर में मात्र 15-20 फेड़ ही रहे होंगे इसके ज्यादा
फेड़ मेरे द्वारा कभी नहीं देखा गया था। कल गरी मेरा
कथन है जो सही एवं सच है। कथन पद-खुन कर मेरे द्वारा
घटनाकार किया गया है।

कथन के साथ लेख लिखा
गया।

[Signature]
न.द.मैटर
11/2023

बाबु लाल

उपवन मंडल
जिला मण्डल

५
बाबु लाल
मीटर

Photographs from Forest Department













कार्यालय तहसीलदार तहसील मैहर जिला मैहर (म.प्र.)

क्रमांक/ 13 /प्रवा.तह./2024

मैहर, दिनांक : 10/01/2024

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

रीवा रोड मैहर-अमरपाटन बाई पास, सतना (म.प्र.)

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 180/2023 (सी.जेड) (विनोद कुमार अग्रवाल एवं अन्य विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) के संबंध में दिनांक 08.01.2024 को समय सुबह 11:00 बजे स्थल निरीक्षण की सूचना एवं जानकारी बावत्।

संदर्भ : आपका पत्र क्र. 1148/क्षे.का./प्रनिबो/पूर्व/2023 सतना, दिनांक 03.01.24।

--0--

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में पटवारी हल्का से प्रतिवेदन आहूत गया। पटवारी हल्का के प्रतिवेदन अनुसार ग्राम बैलाखास तहसील मैहर की आ.नं. 304 रकवा 0.794 हे., 305 रकवा 0.533 हे. भूमि बम महादेव जी महाराज नीलकंठ आश्रम ओइला प्रबंधक जिलाध्यक्ष सतना के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज अभिलेख है। आ.नं. 308 रकवा 0.366 हे., 309 रकवा 0.408 हे. भूमि तालाब दर्ज अभिलेख है, का मौका निरीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि :-

1. वर्ष 1944-45 खसरा अनुसार :-

आ.नं. 304 रकवा 3 बीघा 16 विश्वा - पार तालाब

आ.नं. 305 रकवा 2 बीघा 11 विश्वा - तालाब

आ.नं. 308 रकवा 1 बीघा 15 विश्वा - तालाब

आ.नं. 309 रकवा 1 बीघा 19 विश्वा - पार तालाब

2. न्यायालय कलेक्टर जिला सतना म.प्र. के प्रकरण क्रमांक 2/अ-19/89-90 आदेश दिनांक 23.05.90, पृष्ठांकन क्रमांक 46/चार.आर./89 के द्वारा आ.नं. 304, 305, 308, 309 को म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 2 अ (2) के अंतर्गत निस्तार पत्रक से पृथक की जाकर शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय मैहर को आवंटित की गयी।
3. न्यायालय कलेक्टर जिला सतना म.प्र. के प्रकरण क्रमांक 6/अ-19/94-95 आदि 22.06.95 को आ.नं. 304 रकवा 0.794 हे., 305 रकवा 0.533 हे. भूमि नीलकंठ आश्रम ओइला प्रबन्धक कलेक्टर सतना के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित किए जानें का आदेश स्वीकृत। आवंटन इस शर्त में किया गया कि उक्त भूमि पर नीलकंठ आश्रम का कोई स्वामित्व नहीं रहेगा और न ही इसका विक्रय विना कलेक्टर की अनुमति से किया जा सकेगा।
4. वर्तमान में आ.नं. 305 व 304 में स्वामी नारायण द्वारा शिक्षा महाविद्यालय, विकलांग शाला संचालित है। आ.नं. 304 के अंश भाग में स्वामी नारायणदास शिक्षा महाविद्यालय व आवासीय भवन निर्मित हैं। शेष भाग व 305 का शेष भाग रिक्त है।
5. आ.नं. 308 व 309 में वर्तमान में शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय संचालित है।
6. उक्त आराजियात में वर्तमान में कोई तालाब, तालाब पार जैसी आकृति मौजूद नहीं है।
7. उक्त आराजियात में वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया। अतएव मय पंचनामा, नजरी नक्शा संलग्न सहपत्रों सहित आपकी ओर सादर संप्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

पृष्ठा. क्रमांक/ /प्रवा. तह./2024

तहसीलदार
मैहर, जिला-मैहर (म.प्र.)
मैहर जिला-मैहर (म.प्र.)
मैहर, दिनांक : 10/11/2024

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर महोदय जिला मैहर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ ।
2. अपर कलेक्टर महोदय जिला सतना (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) मैहर की ओर सूचनार्थ।

43

तहसीलदार
मैहर, जिला-मैहर (म.प्र.)

न्यायालय कलेक्टर जिला सतना, म०प्र०

प्रकरण क्रमांक 2-73-19/89-90.


प्रति,

आदेश दिनांक 23/5/90

प्राचार्य शासकीय विवेकानन्द महाविद्यालय मेहरा महाविद्यालय
 भवन हेतु ग्राम उमरीपैला की आ०नं० 48 रकबा 0-596हे० एवं आ०नं० 49 रकबा
 0-230हे० एवं ग्राम पैला खास की आ०नं० 304 रकबा 0-794हे०, आ०नं० 305
 रकबा 0-533हे०, आ०नं० 308 रकबा 0-366हे०, आ०नं० 309 रकबा 0-408हे०
 तहसील मेहरा संविदाकर जाने हेतु आदेश पत्र प्रस्तुत किया गया है। आदेश पत्र
 पर तहसीलदार मेहरा से आम जनता की आपत्ति सुनी हुई, प्रतिवेदन अनुष्मा-
 भीय अधिकारी के माध्यम से प्राप्त किया गया।

अनुष्माभीय अधिकारी मेहरा के प्रतिवेदन दिनांक 7-7-89 से पाया -
 जाता है कि आदेशित आराजियात पर आम जनता का निस्तार न होया तथा
 आराजियात किस्म जमीन तालाब व पार अंकित होने से उनका न्यङ्गत परिवर्तन
 किया जाकर शासकीय विवेकानन्द महाविद्यालय मेहरा को आपत्ति किए जाने की
 अनुमति की गई है।

अतः आ०नं० 48 रकबा 0-596हे०, 49 रकबा 0-230हे०, ग्राम उमरीपैला
 एवं आ०नं० 304 रकबा 0-794हे०, 305 रकबा 0-533हे०, 308 रकबा 0-366हे०
 एवं 309 रकबा 0-408हे० ग्राम पैला खास तहसील मेहरा की म०प्र० मूनराजस संविदा
 1059 की धारा 237(2) के अन्तर्गत निस्तार पत्रक से सूचक की जाती है एवं शास-
 कीय विवेकानन्द महाविद्यालय मेहरा को आपत्ति की जाती है।



मेहरा
 कलेक्टर
 सतना, म०प्र०

सतना, दिनांक 23/5/90
 प्रकाशन क्रमांक 16 / वार. आर. / 89,
 प्रतिनिधि: - 1- अनुष्माभीय अधिकारी मेहरा।
 2- तहसीलदार, मेहरा।
 3- प्राचार्य, शासकीय विवेकानन्द महाविद्यालय मेहरा।
 को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


मेहरा
 कलेक्टर
 सतना, म०प्र०

न्यायालय कलेक्टर जिला-सतना (म०प्र०)

पृ० क्रमांक / ०५ अ. 19 (1111) / 2013-2014

आदेश

(दिनांक-24/01/2014 को पारित)



प्राच्य शासकीय विवेकानन्द महाविद्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०) द्वारा ग्राम मानपुर तहसील मैहर की शासकीय आ०न० 173 रकवा 6.929 हे० महाविद्यालय के विकास/कन्या छात्रावास निर्माण हेतु आवंटन किए जाने का लेख किया गया है जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैहर द्वारा प्रकरण प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया।

2- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैहर द्वारा प्रतिवेदित किया है कि ग्राम मानपुर की आ०न० 173 रकवा 4.928 हे० में से 2.000 हे० भूमि शासकीय विवेकानन्द महाविद्यालय के नाम हस्तान्तरित किए जाने हेतु प्रस्तावित किया है। तहसीलदार तहसील मैहर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम मानपुर की शासकीय आ०न० 173 रकवा 6.929 हे० म०प्र० शासन दर्ज है तथा मौके से रिक्त है। इस भूमि का अंश भाग रकवा 2.001 हे० म०प्र० शासन विधि एवं विधायी विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी है। तहसीलदार मैहर द्वारा प्रकरण में इशतहार का प्रकाशन कराया गया कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अतः अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने आवंटित भूमि को हस्तान्तरण किए जाने हेतु प्रकरण अनुशासक के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3- प्रकरण के अवलोकन से पता चलता है कि ग्राम मानपुर की आ०न० 173 रकवा 4.928 हे० में से 2.000 हे० भूमि शासकीय विवेकानन्द महाविद्यालय के नाम हस्तान्तरित किए जाने हेतु प्रस्तावित किया है। तहसीलदार तहसील मैहर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम मानपुर की शासकीय आ०न० 173 रकवा 6.929 हे० म०प्र० शासन दर्ज है तथा मौके से रिक्त है। उक्त भूमि का अंश भाग रकवा 2.001 हे० म०प्र० शासन विधि एवं विधायी विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी है। तहसीलदार मैहर द्वारा प्रकरण में इशतहार का प्रकाशन कराया गया कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। अतः अनुविभागीय अधिकारी (रा०) मैहर के प्रतिवेदन से सहमत होकर राजस्व पुस्तक परिचय खण्ड क०-4 (रक) की कॉपीका 36 के प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम मानपुर तहसील मैहर की शासकीय आ०न० 173 रकवा 4.928 हे० का अंश रकवा 2.000 हे० म०प्र० शासन उच्च शिक्षा विभाग के नाम हस्तान्तरित की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैहर तदनुसार शासकीय अभिलेख दुरुस्त करावे।

पृ० क्रमांक / ०८ / चार आर / 2014
प्रतिलिपि

24/1/14
जिला सतना (म०प्र०)
सतना, दिनांक-24/1/14

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अमरपुरी को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2- प्राच्य शासकीय विवेकानन्द महाविद्यालय मैहर जिला सतना को सूचनाथ।

स्वतःपारित

पाचार्य
कलेक्टर महाविद्यालय

कलेक्टर
जिला सतना

महान्यायालय कोलकाता जिला-सतना (मू ५०)
क्र.क ०६३५/१९९४-९५
अनुसूचित ५३५१३/८७-८८
नए ५३५१९/८७-८८
श्री. बम-महोदय नीलकण्ठ आश्रम ओइला तहसील मैहर - आला
मा ५० शासन



न्यायालय कोलकाता जिला सतना म०५०

सत्य प्रतिलिपि प्रकरण क्रमांक ६ अ-१९/९४-९५
श्री बम महादेव नीलकण्ठ आश्रम ओइला तहसील मैहर - - - आवेदक
बनाम
श्री ५० शासन - - - अनावेदक

आदेश
=====

दिनांक २२-६-९५ को पारित

आवेदक द्वारा ग्राम ओइला खास की आ०न० ३०४ रकवा ०.७९४ हे० एवं ३०५ रकवा ०.५३३ हे० जो शासकीय अभिलेख में तालाब एवं पारें दर्ज है किन्तु मौके पर यह भूमि तालाब के रूप में न होकर नीलकण्ठ आश्रम के कब्जे में कई वर्षों से चली आ रही है तथा इस पर नीलकण्ठ आश्रम द्वारा चारों तरफ से पक्की दीवाल भी बना ली गई है, जो लेख करते हुए उक्त भूमि नीलकण्ठ आश्रम के निस्तार हेतु आवंटित किये जाने का आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदन-पत्र पर तहसिलदार मैहर से जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से प्राप्त किया गया।

तहसिलदार मैहर एवं अनुविभागीय अधिकारी मैहर ने अपने प्रतिवेदन में आवेदित भूमि नीलकण्ठ आश्रम से लगी हुई एवं इस भूमि पर नीलकण्ठ आश्रम का निस्तार होना एवं आश्रम द्वारा पक्की दीवाल बनाकर सुरक्षित कर लेना, आवेदित भूमि शासकीय अभिलेख में तलैया दर्ज होना किन्तु इस तलैया में पानी न होना, आवेदित भूमि का सुधार नीलकण्ठ आश्रम द्वारा किया जाकर उसे निस्तार हेतु बनाना, आवेदित भूमि पर आम जनता का कोई निस्तार न होने का लेख करते हुए आवेदित भूमि नीलकण्ठ आश्रम ओइला के नाम आवंटित किये जाने की अनुशंसा की गई है।

आवेदित भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में शासकीय विवेकानन्द महाविद्यालय मैहर द्वारा भी आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर प्रकरण क्रमांक २अ-१९/८८-८९ में पारित आदेश दिनांक २३/५/९० द्वारा आवेदित भूमि का आवंटन शासकीय विवेकानन्द महाविद्यालय मैहर के नाम किया गया था। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जिस पर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा आदेश दिनांक ३१/५/९३ में इस न्यायालय का आदेश दिनांक





: - 2 - :

32

23/5/90 निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि आवेदक को भी सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण का निराकरण किया जाय।

शासकीय विवेकानन्द महाविद्यालय मैहर के प्रकरण में कार्यवाही के दौरान प्राचार्य द्वारा आवेदित भूमियों को छोड़कर अन्य भूमियों का आवंटन शासकीय विवेकानन्द महाविद्यालय मैहर के नाम किये जाने का लेख प्रस्तुत किया गया था जिसके आधार पर शासकीय विवेकानन्द महाविद्यालय मैहर के सम्बन्ध में जो आवंटन आदेश दिनांक 26/1/94 को पारित किया गया है उसमें आवेदित भूमियाँ ओइला आश्रम के निस्तार हेतु छोड़ दी गई थीं।

श्री बम महादेव नीलकण्ठ आश्रम ओइला द्वारा समक्ष में यह बताया गया है कि शासकीय विवेकानन्द महाविद्यालय मैहर के लिए आश्रम द्वारा 2 कमरें एवं एक बरामदा का निर्माण कराया जा चुका है तथा एक कमरा निर्माणाधीन है। इस निर्माण में नीलकण्ठ आश्रम द्वारा लगभग ₹ 2,50,000.00 [दो लाख पचास हजार] व्यय किये गये हैं। ऐसी स्थिति में प्रवनाधीन भूमि को बिना प्रीमियम के ओइला आश्रम के नाम आवंटित की जाय।

नीलकण्ठ आश्रम ओइला एक धार्मिक आश्रम है जहाँ पर हमेशा बाहर से आये हुए यात्रियों को सुविधा प्रदान की जाती है। आश्रम का अस्तित्व सार्वजनिक जनता का हित एवं धार्मिक कार्य है। अतः राजस्व पुस्तक परिपत्र की कंडिका 4-3 के अन्तर्गत ग्राम ओइलाघास को आ0न0 304 रकबा 0.794 हे0 एवं 305 रकबा 0.533 हे0 जो शासकीय अभिलेख में तलैया दर्ज है किन्तु मौके पर तलैया के रूप में नहीं है तथा इस पर नीलकण्ठ आश्रम द्वारा चारों तरफ से पक्की बाउण्ड्री बना कर आश्रम के निस्तार हेतु कर ली गई है, मददेनजर रखते हुए उक्त भूमि का आवंटन नीलकण्ठ आश्रम ओइला सम्बन्धक कोलेक्टर सतना के नाम भूमिस्वामित्व पर अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। इस भूमि पर नीलकण्ठ आश्रम का कोई स्वामित्व नहीं रहेगा। ओर न ही इसका विक्रय बिना कोलेक्टर की अनुमति के किया जा सकेगा। केवल इस भूमि की व्यवस्था नीलकण्ठ आश्रम द्वारा की जायेगी।

22.6.95
कोलेक्टर

जिला सतना

47



ग्राम बलवाली तालुका बलवाली

क्रमांक	खेतकन घोर परि सुमि घातो संमि नित न ही तो उक्ता वर्जन)	कच्चेदार का नाम, उसने किस का या पति का नाम तथा निवाह-स्थान, पधि- कार जिसके पन्ना में भूमि भागण हो गई हो घोर देव मजकम का नाम	किसी भूमि स्वामी या पट्टे- दार का या किसी मीस्त्री काष्ठकार के उप-पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम घोर उप- पट्टे पर निर्भर गये भाग का संवेकन	माते की भूमि						माते के नाम के संतो में कोई परे काल का नाम तथा संवेकन	संकेत
				दोष जिनमें कय के दोषान में कलन उगाई गई			पट्टों का संवेकन				
				कलन का नाम	संवेकन	दुकानवी संवेकन	बानु बानु की पट्टी	2 में 5 बरस तक की पट्टी	उत्प पट्टी पर्याप्त 5 बरस में परिक		
5	6	7	8	9	10	11	12				
2	22	श्री २० मदारन ५० २५५ २५५		५०	५०						
3	33	श्री २० मदारन ५० २५५ २५५		५०	५०						
3-4	21137 P. 608	श्री २० मदारन ५० २५५ २५५									
2-9	21139 P. 233	श्री २० मदारन ५० २५५ २५५						२३३			
3-5	41 P. 250	श्री २० मदारन ५० २५५ २५५							२५०		
	9220			५०	५०			२२६	२०		

क्र.सं.		नाम क्षेत्र		वि.सं. जाति			प्रा.सं. जाति	सं.सं. जाति	प्रा.सं. जाति	सं.सं. जाति	प्रा.सं. जाति	सं.सं. जाति
क्र.सं.	क्र.सं.	नाम	क्षेत्र	प्रा.सं.	सं.सं.	जाति	प्रा.सं.	सं.सं.	जाति	प्रा.सं.	सं.सं.	जाति
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
231	301	गहरा	3				गहरा	गहरा				
232	302	नहरा	3									
233	303	गहरा	3									
234	304	गहरा	2111	9								
235	305	गहरा	2111	9								
236	306	गहरा	9									
237	307	गहरा	2111	8								
238	308	गहरा	1									
239	309	गहरा	2111	9								
240	310	गहरा	2111	9								

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: वैलाखास			पटवारी हल्का: वरही			तहसील: मैहर			जिला: मैहर			वर्ष: 2023-2024
भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी कृपक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर चिह्नबगम तथा प्रगार 1. बंधक 2. दृष्टिवधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के प्रकार	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिगाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियों 4. वर्ष के दौरान कोलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1270542037	304 (S)		0.7940 हेक्टेयर कृषि रु.0.00	वम महादेव जी महाराज नीलकंठ आश्रम ओइला मैहर सा.ओइला प्रबंधक जिलाध्यक्ष सतना भूमि स्वामी								

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: वैलाखास			पटवारी हल्का: वरही			तहसील: मैहर			जिला: मैहर		वर्ग: 2023-2024
भूमि के भाग की यूनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (र. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	पत्थेक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुपी कृपक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा पशार 1. दंडक 2. दृष्टिवंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फ़तल के व्यति फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिवाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर सरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियों 4. वर्ष के दौरान कोलम सख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1271196764	305 (S)		0.5330 हेक्टेयर	वम महादेव जी महाराज नीलकंठ आश्रम ओड़ला मैहर सा.ओड़ला प्रबंधक जिलाध्यक्ष सतना भूमि स्वामी							तहसीलदार द्वारा प्र. क्र.0207/अ-74/2022-23 एव आदेश दिनांक25/11/2022के अनुसार दिनांक 10/01/2023 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज

तालाव विलोपित करने
का आदेश स्वीकृत

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कोपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
कानून पी -II
खसरा

सी. एल. आर. नं. :11090155549

ग्राम, तालुका		हल्का नंबर		पा.वि.म. नंबर	तहसील नंबर	जिला नसतना	वर्ष: 2020-2021				
क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाते में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और टैय राजस्व का लगान	किसी भूमिसवामी या पट्टेदार का या किसी मालिकी का शतकर के रूप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और ला-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि						खाते के बाहर के क्षेत्रों में कोई भी फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैरियत
				क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई		पड़ती का क्षेत्रफल					
1	2	3	4	फसल का नाम	क्षेत्रफल	एकसाली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक	11	12
305	0.5330	शम महादेव जी महानाज नौलकट आश्रम ओडला महर सा ओडला प्रबंधक जिला धरम सतना भूमि स्वामी							0.5330 तालाब 0.5330		



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अपिलेख
 रजिस्ट्रार
 प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)
 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अपिलेख) नियम, 2020


CLR No. : 11090155472

ग्राम: बैलघास			पटवारी हल्का: बरही			तहसील: मैहर			जिला: सतना		वर्ष: 2021-2022
भूमि के भाग की कृत्रिम आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण/ब्लॉक/सत्याक)	भू-खण्ड सत्याक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-पाटन (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंग	1. सरकारी पट्टेदार का नाम; उसकी मता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलग्न तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के बारे में		1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर सरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियां 4. वर्ग के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियां न सुधार के आदेश
									फसल के अधीन क्षेत्रफल	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127119 6764	305 (S)		0.5330 हक्टर कृषि रु 0.00	बम महादेव जी महाराज नीलकंठ आश्रम ओइला मैहर सा ओइला प्रबंधक जिलाध्यक्ष सतना भूमि स्वामी							तालिका 0.5330



CLR No. : 11090155558

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
खुसरा
प्रकार एक (नियम 6 देखिए)
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-संशोधन तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020



ग्राम: बैलाघात			पटवारी हल्का: बरही			तहसील: मेहर			जिला: सतना		वर्ष: 2022-2023
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण सख्याक/ब्लॉक सख्याक)	भू-खण्ड सख्याक (ब्लॉक तथा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटा (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विद्वान तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यारे फसल के अधीन क्षेत्रफल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य		1. भूमि के सिवाई सर्वेची प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियां 4. वर्ग के टारन कॉलम सख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127119 6764	305 (S)	0.5330 हेक्टर	कृषि रु. 0.00	बम महादेव जी महाराज नीलकंठ आश्रम ओइला मेहर सा ओइला प्रबंधक जिलाध्यक्ष सतना भूमि स्वामी							तहसीलदार द्वारा प्र क्र 0207-अ-74 2022-23 एवं क्रम दिनांक 25/11/2022 के अनुसार दिनांक 10/01/2023 को खसरा टिप्पणी में परिवर्तन दर्ज तालाब विलोपित करने का आदेश स्वीकृत



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अपिलेख
कार्य वि- II
खसरा

सी. एल. आर. नं. :11090154674

ग्राम-बीलाखास		हल्का नंबरही		प.वि.म. नंबर	तहसील नंबर	जिला नसतना		वर्ष: 2020-2021			
क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौसमी कास्तकार के रूप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या सट्टे की रकम और लप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि						खाते के बाहर के क्षेत्रों में बाई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
				क्षेत्रफल जितने वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई		पड़ती का क्षेत्रफल					
1	2	3	4	फसल का नाम	क्षेत्रफल	दफ्तरी क्षेत्रफल	शालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक	11	12
304	0.7940	राम महादेव जी महापात्र नौलकठ आश्रम ओडला नहर सा ओदला प्रबंधक जिला धैयक्ष राजना भूमि स्वामी							0.7940 तालाब 0.7940		

CLR No. : 11090155094

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अपिलेख
 खसरा
 प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)
 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अपिलेख) नियम, 2020



ग्राम: बेलवासा			पटवारी हल्का: बरही			तहसील: मेलर			जिला: सतना		वर्ष: 2021-2022
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण सख्याक /प्लॉक सख्याक)	भू-खण्ड सख्याक (ब्लॉक की टमा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-पाटल (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौल्यी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर किल्लाम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यारे		1. भूमि के सिवाई सबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर सरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियंत्रियां 4. वर्ष के दौरान कल्लम सख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियां में सुधार के आदेश
									फसल 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127064 2037	304 (S)		0.7940 हेक्टर कृषि रु.0.00	श्री महादेव जी महाराज नीलकंठ आश्रम ओइला मेहर सा ओइला प्रबधक जिलाध्यक्ष सतना भूमि स्वामी							तालाब 0.7940



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अपिलेख
 खसरा
 प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)
 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अपिलेख) नियम, 2020



CLR No. : 11090154680

ग्राम: बैलाखान			पटवारी हत्का: बरही			तहसील: मेहर			जिला: सतना		वर्ष: 2022-2023
भूमि के भाग की युनिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण सख्याक / ब्लॉक सख्याक)	भू-खण्ड सख्याक (ब्लॉक की टसा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-पाटन (रु. में)	1. भूमिसवामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का असा	1. सरकारी पटवारी का नाम- उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी कुचक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलयन तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यारे		1. भूमि के सिगाई सबंधी प्रस्थिति 2. भूमि पर सरचना / वृक्ष 3. अन्य अधियुक्तियां 4. वर्ग के दौरान कॉल्म सख्या (1) से (9) तक में प्रदृष्टियां व सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127064 2037	304 (S)		G 7940 हेक्टर कृषि रु. 0.00	बन महादेव जी महाराज नीलकंठ आश्रम ओइला मेहर सा ओइला प्रबन्धक जिलाध्यक्ष सतना भूमि स्वामी							

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख



खसरा

परूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: वैलाखास		पटवारी हल्का: वरही				तहसील: मैहर			जिला: मैहर		वर्ष: 2023-2024
भूमि के भाग की यूटिक आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	पत्न्यक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुपी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलगम तथा एभार 1. वृधय 2. दृष्टिवधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संवर्धन प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना / वृक्ष 3. अन्य अभिवृत्तिया 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1272852033	308 (N)		0.3660 हेक्टेयर								
828ZFLDDNT3GI10											

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख



खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: वैलाखास		पटवारी हल्का: वरही				तहसील: मैहर			जिला: मैहर		वर्ष: 2023-2024
भूमि के भाग की सूचिका आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक/ब्लॉक संख्याक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (₹) में	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी गोला/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुपी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी गोला/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलग तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिवधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौटे 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना/मृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में परिवर्तियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1273399121	309 (S)		0.4080 हेक्टेयर								
828ZI.ZDDNTDYHO											

तालाब 0.4080
₹.0.00

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल पाथी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कोपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एस. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. पविष्टि से सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।



पति

श्रीमान तहसीलदार महोदय, मंडळ,
तहसील - मंडळ, जिल्हा - मंडळ

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित पत्रव्य क्रमंक
श्री.ए. 180/2023 (सी.बेड) (विनोद कुमार अग्रवाल एवं
अन्य विरुद्ध मन्फो जासन व अन्य) के संबंध में।

मान्यवर,

विषयवर्गित पत्र है कि ग्राम केलावास फर हं नं ५७
की भा.नं. 304 रकबा 0.794 है., 305 रकबा 0.533 है. भूमि
वम महोदय जी महाराज नीलकंठ मातृम औड्या पंचक
जिल्हादरस सतना के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दो अधिलेख
है, भा.नं. 308 रकबा 0.366 है., 309 रकबा 0.408 है. भूमि
तलाव दो अधिलेख है, का मौका निरीक्षण किया गया।
अंत में पाया गया कि

न. वर्ष 1944-45 रकबा अनुसार :-

- भा.नं. 304 रकबा 2 बीघा 16 किल्ला - पार तलाव
- भा.नं. 305 रकबा 2 बीघा 11 किल्ला - तलाव
- भा.नं. 308 रकबा 1 बीघा 15 किल्ला - तलाव
- भा.नं. 309 रकबा 1 बीघा 19 किल्ला - पार तलाव

- न्यायलय कलेक्टर जिल्हा सतना, मन्फो के पत्रव्य क्रमंक
2 /अ-19/89-90 अधिलेख दिनांक 23.5.90, प्रचलित
क्रमंक 46/वार.आर./89 के द्वारा भा.नं. 304, 305,
308, 309 को मन्फो भू-संबन्ध संहिता 1959 की धारा
23(2) के अंतर्गत निसार पत्र से प्रयुक्त की जाती
है व शासकीय विवेकानंद महविद्यालय मंडळ के
अधीनस्थ की गयी।

- नारायण कलेक्टर जिला सतना, मन्प. के पकरण नो. 6/अ-19/94-95 आदि. 22.6.95 को आन. 304 रकबा 0.794, 305 रकबा 0.533 हे. भूमि नीलकण्ठ आराम ओडवा पकलक कलेक्टर सतना के नाम भूमिस्वामी स्वयं पर अहित किले जाने का ओपना स्वीकृत / आवेदन इस बर्त में किया गया कि उक्त भूमि पर नीलकण्ठ आराम का कोई स्वामित्व नहीं रहेगा और न ही इसका विक्रय बिना कलेक्टर की अनुमति से किया जा सकेगा।

- वर्तमान में आन. 305 व 304 में स्वामी नारायणदास शिखा मठविद्यालय, विठलांग जावा संचालित है। आन. 304 के अंश भाग में स्वामी नारायणदास शिखा मठविद्यालय व आवासीय भवन निर्मित है। शेष भाग व 305 का शेष भाग रिक्त है।

- आन. 308 व 309 में वर्तमान में शासकीय विक्रानेद मठविद्यालय संचालित है।

- उक्त आराज्यात में वर्तमान में कोई नालावा मौजूद नहीं है।

- उक्त आराज्यात में वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया।

अस्तु पतिवदन मय फेंचनामा, नक्की नक़्शा शीमाद
 ने ओर सादर सहपीका


पटवारी-रिफ़्त अल्लर. कलेक्टर।

दिनांक
 9.1.24
 पट. अडी. 27

11/02/24

नवरी नवरा ग्राम - ककरवाल पं. सं. ५७

५



उपरि नक्शा ककरवाल नवरा ग्राम

तैयार किया

दिनांक

०१.१२.२५

पटवारी सं. ५७

५७/१/२५

बाल विभाग 4.1.24 के ग्राम विकास फंड नं. 47
 की भा.नं. 304, 305, रकबा क्रमांक 0.794 हे, 0.533 हे व महादेवजी
 महाकाज नीलकेड आराम ओडला में एक संबंधक जिलाध्यक्ष
 स्वामी के नाम भूमिस्वामी स्वतंत्र पर दिये अभिलेख हैं। भा.नं.
 308 रकबा 0.366 हे. भा.नं. 309 रकबा 0.408 हे. भूमि वसाफ
 दिये अभिलेख हैं का मोक निरीक्षण शीमान राजस्व निरीक्षण
 महोदय के द्वारा किया गया। सोके में पाया गया कि भा.नं. 308
 309 में वास्तविक विवेकानंद महाविद्यालय की किलेडिंग निर्मित है।
 आर 304 के अंश भाग में स्वामी नारायणदास छिशा महाविद्यालय,
 विक्रलांग वाला संघर्षित हैं। व 304 के अंश भाग में आवासीय
 भवन निर्मित है, जो भा.नं. 304 व 305 रिक्त हैं।

By
 4.1.24
 पंचवर्षीय-4/1/24

Chaly

मोहन सिंह

धीरेन्द्र सिंह

स्वामी
 4/1/24

बसु मशरुफ

जालेश्वर शर्मा

कथन

डॉ. अरुण कुमार गौतम, पिता श्री महेश प्रसाद गौतम
 निवासी वल्लभनगर, मैटूर, उम्र 60 वर्ष
 पेशा - प्राचार्य, शास. विवेकानन्द महावि. मैटूर

शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मैं उक्त महाविद्यालय
 में लगभग 26 वर्ष से पदस्थ हूँ तथा वे उक्त भूमि में मंत्रवि.
 संचालित है। मेरी जानकारी में कोई गलतब जैसी
 संरचना नहीं थी। उक्त भूमि समतल थी।

Arun
 06.01.24

बलर साइ निरा बालकृष्ण साइ
सि. पुरानी बस्ती में 31
पेशा. हार्ट केस की उकार

कथन

बहुल कथन कथा है कि मैं मई
में उकार लगभग 5-6 वर्ष से चल
रहा है। इसे साफे लगभग 4-5 पेड-
इको लिटिल के लगे थे 2 पेड हक के
गिरे हैं। एं कुछ पेड बिजली की तार
के पास होने के कारण भेद रात की
के द्वारा कटे गये हैं। जबसे देखा तबसे
बलाव मी 5 नहीं थी।

Handwritten signature

कथन

शजा राम शीला लाल मल निवासी
 सौ. बल्लभमनोहर मंडल
 उम्र - 38 पेशा नर्सिंग

कथन

मै. बल्लभ मन्ना बरलर डू रि मंडल
 में लालमन, 16 वर्ष से निवाह कर रहा
 हूँ मै. मंडल म. लाल मंडल नर्सिंग
 डिपार्टमेंट, पहले यहां पर काम करा, 10-12
 घंटे- लगे हुए थे जो हवा. लूफास में
 गिर गये थे किरली की लाल मंडल के
 कारण, उसे कुछ किरली निवासी 60
 मंडल मंडल जी के साथ कालवाये मंडल डू

यह कथन सही एवं सत्य है

Signature
 शजा राम निवासी

NGT 180/2023

आप पिनांक 06/01/2024 का ग्राम वैलाखार की शाराजी नं 304 रकबा 0.794 हे, 305-रकबा 0.533, वम महीन जी महराज नीलडिंड कर्मण भोपल मेहर का मानसीप NGT के प्रकार उमॉक 180/2023 (GZ) विवेक कुमा अगबाल लिख मं पं शासन निरखेण किया गया। पिसेके NGT द्वारा विवेकित करीके के निरखेणसा असा कलेस्टा श्री जालि फल; श्री धुसेपू रिंहे बुंदला मेरिफ अधिमापि MIPCO, श्री सुरेम जाधत SDM मेहर, श्री यशबल मेहरा उपवरमंडलाधिकारी मेहर, लखमीलदा मेहर, उपरिपार रटे। एवं नीलडिंड आत्म के उतिरिपि राज्यम निवारके श्री उपधर रटे।

खसरा नं 304 एवं 305 वर्तमान मे वम महीन जी महराज नीलडिंड कर्मण भोपला मेहर शोभला इलेवन जिलाधर खतना के नाम दर्ज है। मोडे पर वम शाराजी नं 304 के अंध भाग मे स्वामी नरामण दास श्रीना महासिधायके के तिकलोग शासा एवं मानसीय अतन निर्मित है। शैव शाराजी नं 304 एवं 305 रिस्त वी खसरा नं 308-रकबा 0.366 हे एवं शाराजी नं 308-रकबा 408 हे कुल 2 किला-वर्तमान मे शासकीय प्रबालिधालम तिवेकानं का अका निर्मित है। उक्त खसरा नं मे कछी भी कोर बालब की खसरा नकी पायी गयी। SDO उपवरमंडलाधिकारी एवं लखमीलदा मेहर द्वारा कछी उपरिपार लोगो के कचन भी लिख गये।

(Signature)
A.D.M

(Signature)
06/1/2024
AO MIPCO

(Signature)
06/01/2024
SDO, Forwal-
maihan

(Signature)
ten. maihar

Ann-
06.01.24
Principal

(Signature)
उपनि. मेहर

(Signature)
पुस्तकालय

(Signature)
राधाराज तिवेकरी

राज. वि. मन्तकोषर महारिखण्ड
मेहर जिला सख्य (नं. 801)

VAKALATNAMA
 [Rule 4(1) of the Rules framed under Advocates Act, 1961]
BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
O.A. No. 180/2023
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL

IN THE MATTER OF:

VINOD KUMAR AGARWAL

...APPLICANT

Versus


STATE OF MP & ORS

....RESPONDENTS

I/We/Appellant/Claimant/Petitioner or Defendant/Respondent/Non-Applicant named below do hereby appoint, engage, and authorize advocate(s) named below to appear, act and plead as aforesaid case proceedings which shall include application for restoration, setting aside of ex- party orders, corrections, modifications, review and recall of orders passed in these proceedings, in this court or any other court in which the same may be tried/ heard/proceeded and also in appellate. Revisional and executing court in respect of proceedings arising from this case/ proceedings as per agreed terms and conditions and authorize him/them to sign and file pleadings, appeals, cross objections, applications, affidavit or other documents as may be deemed necessary for the proper prosecution/defence of the case in all its stages and also agree to ratify and confirm act done by him/them as if done by me.

In witness whereof i/we do hereunto set my/our hand to the presents, the contents of which have been duly understood by me /us this **6th February 2024**.

PARTICULARS OF EACH PARTY EXECUTING VAKALATNAMA

Name & Fathers Name	Registered Address	E-Mail Add & Telephone (If any)	Status in case	Signature
Dr. Pushpendra Singh Bundela S/o Late Shri Swaroop Singh, Regional Officer, MPPCB Regional Office Satna.	Gali No. 5, Dwari, Satna, MP, 485001	07672-237273 romppcb_satna@rediffmail.com	Officer-in-Charge	 Regional Officer M.P. Pollution Control Officer (M.P.) Satna

Accepted

Name & Enrollment. No.	Address (If any) E-Mail Add.	Telephone (If any)	Full Signature
PARUL BHADORIA 1587-2012	parul.bhadoria04@gmail.com	8085977111	
PRANJAL PANDEY MP 2881-2021	advocatepranjalpandey@gmail.com	9340657120	
SHIVAM DWIVEDI MP 3857-2023	advshivamdwivedi20@gmail.com	8878471359	